बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(13)वि0सर्वे0कर्मी0(R2R)–14/2023..2276..पटना, दिनांक:–28/05/2024

आदेश

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0), पश्चिम चम्पारण(बेतिया) के पत्रांक 686 दिनांक 25.09.2023 द्वारा सुश्री रेवाती राणा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01299) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि निदेशालय आदेश संख्या 10528 दिनांक 12.08.2020 से पदस्थापन होने के पश्चात इनके द्वारा बंदोबस्त कार्यालय में अबतक योगदान नहीं किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1571 दिनांक 25.03.2024 द्वारा सुश्री राणा से पदस्थापन के पश्चात् योगदान नहीं करने के विरूद्ध 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जिसका प्रतिउत्तर इनके द्वारा समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि शारीरिक स्थिति सही नहीं रहने एवं आवास स्थल से अत्यधिक दूरी रहने के कारण इनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है। साथ ही अन्य जिले में योगदान करने की अनुमति मांगी गयी है।

बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सुश्री राणा से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत पाता हूँ कि सुश्री राणा द्वारा योगदान नहीं किए जाने के संबंध में जो बाते अंकित की गयी है, वह तर्कहीन एवं भ्रामक है। यदि पदस्थापन कार्यालय से इनके आवास स्थल की दूरी अत्यधिक थी, तो इस संबंध में इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी से अनुरोध किया जाना चाहिए था। साथ ही इनके द्वारा अपनी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहने की बात अंकित की गयी है, परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उपरोक्त के संबंध में पदस्थापन कार्यालय अथवा निदेशालय को कभी कोई सूचना/आवेदन दिया गया है। चूंकि पदस्थापन के पश्चात् लगभग 04 वर्षो से ये बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं एवं मात्र संविदा में बने रहने के लिए इनके द्वारा तर्कहीन एवं भ्रामक स्पष्टीकरण दिया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से ही विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। इस उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं, इसके बावजूद भी सुश्री राणा द्वारा 04 वर्षो में भी योगदान नहीं किया जाना एवं स्पष्टीकरण में तर्कहीन बाते अंकित किया जाना इनके मनमानेपन, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता को स्वतः परिलक्षित करता है। ऐसे कर्मियों को संविदा में बने रहने का अवसर दिये जाने से अन्य संविदा कर्मियों पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम 8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत सुश्री रेवाती राणा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01299) का संविदा नियोजन दिनांक 24.09.2020 से समाप्त किया जाता है।

28/5/24
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः–01 / भू0अ0नि0(13)वि0सर्वे0कर्मी0(R2R)–14 / 2023 2276 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– सुश्री रेवाती राणा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01299), बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः–01 / भू0अ0नि0(13)वि0सर्वे0कर्मी0(R2R)–14 / 2023 2276 **पटना, दिनांक** :– 28/05/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः–01 / भू0अ0नि0(13)वि0सर्वे0कर्मी0(R2R)–14 / 2023 2276 **पटना, दिनांक** :– 28/05/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप